# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2004/00045**

मिसल नम्बर– 116/2004

मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये सरपाक श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड द्वारा अधिकारी

वादी

**बनाम**

भंवरलाल उर्फ भंवरिया आत्मज श्री नाथू जी, जाति माली, निवासी गिरधरपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

प्रतिवादी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत्)

दिंनाक: 29 / 8 /2025

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1.श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अधिवक्ता वादी।

2.श्री राजेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी

वादीगण की ओर से न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी प्रतिभा श्री बडे मथुरेश जी का विख्यात मंदिर पाटन पोल कोटा से स्थित है। इस प्रतिमा तथा इसकी समस्त चल व अचल सम्पति की सुव्यवस्था के लिए सम्माननीय जिला न्यायाधी कोटा द्वारा धारा 92 जाब्ता दीवानी संहिता मे स्कीम बनाकर श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड की स्थापना की है जो मूर्ति का संरक्षक है तथा राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा मे खसरा नम्बर 228 की 0.12 हैक्टर, खसरा संख्या 229 की 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 की 1.74 हेक्टर कुल रकबा 2.21 हैक्टर आराजी वादी मूर्ति की खातेदारी की है, जो वादी मूर्ति को खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण कर लेने पर वादी मूर्ति ने प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय सहायक समाहर्ता मुख्यालय कोटा में बेदखली का वाद प्रस्तुत किया था, उस वाद में प्रतिवादी ने वादी मूर्ति का विवादित भूमि का खातेदार कृषक होना स्वीकार किया तथा 350 रूपया प्रति वर्ष सालाना मुनाफा की राशि जमा कर भूमि का काश्त करना स्वीकार किया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनाक 5.06.80 को

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

R-2004/00046-फैसल

राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किया गया, यह राजीनामा निम्न लिखित आधार पर प्रभावहीन व बेअसर है :–

(अ). जिला न्यायाधीश कोटा द्वारा धारा 92 जाब्ता दीवानी संहिता में मूर्ति व मूर्ति की सम्पत्ति की सुचारू व्यवस्था के लिये कायम की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड के अधिकारी को मूर्ति की ओर से वाद प्रस्तुत करने तथा उसकी पूरी पैरवी करने का तो पूर्ण अधिकार है किन्तु बिना जिला न्यायाधीश काटा की लिखित स्वीकृति के राजीनामा करने का अधिकार नही है।

(ब). यह कि मूर्ति की सम्पत्ति का 5 वर्षों से अधिक के लिये बिना जिला न्यायाधीश कोटा की लिखित स्वीकृति के लीज पर नही दिया जा सकता है। उस वाद मे राजीनामा के पूर्व विवादित भूमि को 350 रूपये वार्षिक दर से सदैव के लिये लीज पर देने की स्वीकृति जिला न्यायाधीश कोटा से नहीं ली गई है जिससे राजीनामा सर्वथा अवैध है तथा शुन्य है।

(स). वादी मूर्ति सदैव नाबालिग है तथा नाबालिग की सम्पत्ति को स्थाई रूप से बिना जिला न्यायालय की स्वीकृति के न तो खुर्द बुद किया जा सकता है न ही स्थायी रूप से मूर्ति के हितो के विपरीत लीज पर दिया जा सकता है। वर्तमान में विवादित भूमि की सालाना मुनाफा काश्त की दर 3000 रूपया प्रतिबीघा है जिसके अनुसार यह मूर्ति मुनाफा काश्त पर दी जाती है तो करीब 33000 रूपये प्रतिवर्ष मुनाफा की राशि वादी मूर्ति को प्राप्त होगी, किन्तु प्रतिवादी अवैध व शुन्य राजीनामा के आधार पर केवल मात्र 350 रूपये पूरी भूमि का मुनाफा अदा करना चाहता है जो वादी के हितों के विपरीत है।

प्रतिवादी ने इस वर्ष भी मई 2004 मे अवैध राजीनामा के आधार पर 350 रूपये में काश्त करना चाहा तो वादी ने राशि प्राप्त नहीं की तथा प्रतिवादी को बाजार दर के अनुसार 33000 रूपये का मुनाफा अदा करने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने राशी जमा करने से इन्कार कर दिया। इस पर वादी ने प्रतिवादी से कब्जा हटाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी 1 जून 2004 से विवादित आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। दावा पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा मे खसरा नम्बर 228 की 0.12 हैक्टर, खसरा संख्या 229 की 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 की 1.74 हेक्टर कुल रकबा 2.21 हैक्टर आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को दखल दिलाये जाने की डिक्री प्रदान की जावे तथा वाद प्रस्तुत करने से कब्जा समलाये जाने तक 33000/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से हर्जाना भी वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

**प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि:–** प्रतिमा श्री बड़े मथुरेश जी का मन्दिर पाटनपोल, कोटा में स्थित है, जिसकी चल एवं अचल सम्पत्ति एवं मन्दिर की माफियात् की आराजीयात् कोटा, बारां एवं झालावाड में स्थित है, उसकी व्यवस्था के लिए एडवोकेट जनरल राजस्थान सरकार ने जाब्ता दीवानी की धारा 92 के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट जजी, कोटा में वाद संख्या 1/1955 उनवान गोस्वामी रणछोड़ लाल मैनेजर, बड़े मथुरेश जी कोटा एवं बड़े मथुरेश जी कोटा जर्ये बड़े देवता श्रीधर लाल कोटा के विरुद्ध दिनांक 11.01.55 को प्रस्तुत किया था तथा उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.1972 को निर्णय पारित किया था, जिसके अनुसार मन्दिर श्री मथुरेश जी को पब्लिक का मंदिर घोषित किया गया था एवं उसकी चल व अचल सम्पत्ति एवं मंदिर मथुरेश जी की माफियात् की आराजीयात की सुव्यवस्था करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था तथा गोस्वामी श्री रणछोड़लाल जी महाराज आत्मज श्री गोस्वामी श्रीधर लाल जी, निवासी– मंदिर श्री बड़े मथुरेशजी पाटनपोल कोटा को अध्यक्ष बनाया गया तत्पश्चात् गोस्वामी रणछोड़लाल जी (अध्यक्ष) ने मन्दिर की चल एवं अचल सम्पत्ति एवं माफी की आराजीयात के बाबद दीवानी व राजस्व न्यायालय मे मुकदमा दायर करने बाबत् व पैरवी करने के बाबत् दिनांक 27.08.78 को श्री रामस्वरूप जी आत्मज श्री बाबू राम जी जाति ब्राह्मण अधिकारी एवं रघुनाथ प्रसाद जी आत्मज केशवदेव जी ब्राह्मण निवासी कोटा–, सहायक अधिकारी मूर्ति बड़े मथुरेश जी पाटनपोल कोटा को अपनी ओर से मुख्तार आम नियुक्त किया गया था तत्पश्चात् उक्त सार्वजनिक पब्लिक मंदिर बड़े मधुरेश जी की उक्त सम्पत्ति के सुचारू रूप से व्यवस्था करने हेतु राजस्थान न्यास अधिनियम् 1959 के अन्तर्गत उक्त सार्वजनिक मंदिर बड़े मथुरेश जी का विधिवत् न्यासियों का गठन करके देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के कार्यालय द्वारा दिनांक 08.04.81 को विधिवत् पंजीकृत करवा लिया। प्रतिवादी अपने पूर्वजों के समय सम्वत् 1993 यानि कि 70 वर्षों से वादपत्र की चरण नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात माफी मन्दिर मथुरेश जी की कर्ता (मुनाफे) पर काश्तकार की हैसियत से काश्त करते चले जा रहे है। प्रतिवादी के पूर्व प्रतिवादी के बाबा मोती व उसके मरणोपरान्त प्रतिवादी के पिता श्री नाथू जी काश्तकार की हैसियत से काश्त की है एवं उनके मरणोपरान्त उनका सुलमी लड़का प्रतिवादी भंवर लाल काश्तकार की हैसियत से काश्त करते चले आ रहे हैं एवं कर्ता (मुनाफा) मन्दिर श्री बड़े मथुरेश जी को अदा करता चला आ रहा है, तत्पश्चात् मूर्ति मन्दिर श्री मथुरेश जी जर्ये अधिकारी श्री रामस्वरूप जी के द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात के बाबत् भंवर लाल (प्रतिवादी के विरुद्ध) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 के अधीन न्यायालय सहायक समाहर्त्ता (सामान्य), कोटा के न्यायालय में वाद क्रम

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

संख्या 6/79 अपने अभिभाषक के जर्ये दिनांक, 19.1.79 को प्रस्तुत किया था, तत्पश्चात् दौराने मुकदमा दिनांक 05.06.80 को वादी एवं प्रतिवादी के बीच वैधिक तौर पर राजीनामा इस सरायत के साथ हुआ कि प्रतिवादी, वादी को वादपत्र के चरण नम्बर–2 में वर्णित आराजीयात का प्रतिवर्ष मुनाफा काश्त 350/–रूपये विक्रमी सम्वत् के अनुसार अक्षया तृतीया के पूर्व जमा करता रहेगा, अगर हस्व इकरार नामा के मुताबिक प्रतिवादी ने वादी को रकम अदा नहीं की तो वादी को प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी से –बेदखली का अधिकार प्राप्त होगा, उक्त राजीनामा हस्व सरायत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी राजीनामा तहरीर कर प्रतिवादी एवं वादी के मुख्तार आम श्री रामस्वरूप जी ने अपने हस्ताक्षर करके दिनांक 05.06.80 सहायक समाहर्ता सामान्य न्यायालय, कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा पक्षकार द्वारा, प्रस्तुत राजीनामा जाब्ता दीवानी की धारा 23 नियम् 3 के अधीन न्यायालय में स्वीकार कर तस्दीक किया, तथा पक्षकारान एवं उनके अभिभाषकगण के उक्त तस्दीक राजीनामा पर विधि पूर्वक हस्ताक्षर किये, तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा वैधिक तौर पर डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात् हस्व –राजीनामा के इकरार के मुताबिक प्रतिवर्ष वादी को आराजी के मुनाफा काश्त की राशि 350/–रुपये प्रतिवर्ष विक्रमी सम्वत् 2036 से 2061 तक का अदा कर चुका है। जिसकी प्राप्ति की रसीद वादी ने प्रतिवादी को देता चला आ रहा है। उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.1980 को पक्षकारों के मध्य वैधिक तौर से प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार डिक्री पारित की है। तथा पक्षकारान उक्त डिक्री की शरायत से पाबन्द है। उक्त न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अप्रसन्नता से वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध आज तक कोई अपील राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है एवं माननीय न्यायालय हाजा द्वारा राजीनामें के अनुसार पारित डिक्री फाईनल हो गई है तथा जाब्ता दीवानी की ऑर्डर 23 नियम 3 (अ) के अधीन न्यायालय सहायक समाहर्ता सामान्य कोटा द्वारा पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार दिनांक 05.06.1980 को पारित की गई डिक्री के मंसूखी के लिए न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत करने के विधि के अनुसार बार्ड पाबंद है। प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी का मुनाफा हस्व राजीनामा दिनांक 05.06.1980 के अनुसार विक्रमी सम्वत् 2061 सन् 2004 का मुनाफा काश्त की राशि 350/–रुपये जर्ये मनीऑर्डर दिनांक 12.4.2004 को वादी को भेजी, लेकिन मन्दिर बड़े मथुरेश जी पाटनपोल कोटा अधिकारी एवं मुख्तारआम ने दिनांक 15.04.2004 को मनीऑर्डर की राशि लेने से इन्कार कर दिया। तत्पश्चात प्रतिवादी ने उक्त राशि 350/–रुपये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर राजभवन रोड़ कोटा में दिनांक, 28.04.2004 को जमा कराई, और उक्त बैंक से अधिकारी मूर्ति श्री बड़े मथुरेश जी बेअमलबोर्ड–कोटा के नाम 350/–रुपये का बैंक ड्राफ्ट नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

965764 से प्राप्त किया है, तथा उक्त बैंक ड्राफ्ट प्रतिवादी ने अपने अभिभाषक के जर्ये रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा दिनांक 01.05.2004 को भेजा जो अधिकारी श्री रघुनाथ प्रसाद जी को दिनांक 06.05.2004 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से विक्रमी सम्वत् 2061 (सन् 2004) को विवादित आराजी मौजा रामनगर तहसील लाडपुरा की मुनाफा काश्त की आराजी की राशि 350/—रुपये प्राप्त हो गई है और प्रतिवादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जाब्ता दीवानी के ऑर्डर 23 नियम 3(अ) के अन्तर्गत न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वादी को प्रस्तुत डिक्री मंसूखी का वाद प्रस्तृत करने का विधिवत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध पूर्व में विवादित आराजीयात के बाबद न्यायालय सहायक समाहर्ता (सामान्य) कोटा के न्यायालय मे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 के अन्तर्गत वाद संख्या 6/79 प्रस्तुत किया था, जिसका पूर्ण विवरण प्रतिवादपत्र के चरण नम्बर 2 में वर्णित किया गया है, तथा उक्त वाद में दिनांक 05.06.1980 को पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा प्रस्तुत होने पर माननीय —न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.06.80 को वैधिक तौर पर डिक्री पारित की गई है, इसीलिए वादी विवादित आराजीयात के बाबत् पुनः प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के लिए एवं पारित डिक्री को मंसूख करने के लिए स्टोप्ड है। प्रस्तुत वाद में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांन्त लागू होता है। विवादित आराजी वादी मन्दिर श्री बड़ेमथुरेश जी के खुद काश्त में नहीं है, और न उक्त विवादित आराजी राजस्थान एण्ड —रिज्यूम्प्शन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के अधीन धारा 23 के अन्तर्गत वादी भी खुद काश्त घोषित नहीं की गई है, इसीलिए वादी द्वारा प्रस्तृत वाद चलने योग्य नहीं है। माफी मंदिर बड़े मधुरेश जी कोटा को विवादित आराजी को मुनाफा काश्त से करीब 80 वर्षों से प्रतिवादी के पूर्वजों के समय से ही कृषक (काश्तकार) की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा उक्त माफी की आराजीयात उक्त एक्ट के अधीन राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 01.01.59 को रिज्यूम हो चुकी है। वादी उक्त वाद में पक्षकारों के मध्य राजीनामा दिनांक 04.06.1980 के अनुसार न्यायालय सहायक समाहर्ता (सामान्य), कोटा द्वारा पारित डिक्री मंसुख करने के लिए न्यायालय हाजा को वाद सुनने का वैधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि उपरोक्त कारणों से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त फरमाया जावे एवं जो भी सहायता न्यायालय तथ्यों के आधार पर न्याय हेतु उचित समझे वह भी प्रतिवादी को प्रदान की जावे।

**प्रतिवादी द्वारा 07 R 11(D) CPC के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि :—** वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय हाजा में सहायक समाहर्ता कोटा में पक्षकारों के मध्य विवादित —आराजी के बाबत् दिनांक 05.06.80 को हुए

उपखण्ड अधिकारी
को

आपसी राजीनामा के अनुसार पारित डिक्री की मंसूखी के लिए एवं प्रतिवादी को विवादित आराजी से बेदखल करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है, वादी द्वारा पारित डिक्री दिनांक 05.06.80 के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, उक्त डिक्री फाईनल हो गई है। प्रतिवादी उक्त पारित डिक्री दिनांक 05.06.80 की पालना में वादी को 350/– रुपये सालाना मुनाफा अदा करता चला आ रहा है, और विवादित आराजी को काष्त करता चला आ रहा है। सम्वत् 2061 (सन् 2004) का मुनाफा 350/–रुपये प्रार्थी दिनांक 06.05.2004 को वादी को अदा कर चुका है। मुनाफा की कोई राशि बकाया नहीं है। न्यायालय सहायक समाहर्ता कोटा में पूर्व में पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी के बाबत् धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद क्रम संख्या 6/79 में वादी की सहमति से पक्षकारों के मध्य दिनांक 05.06.80 को राजीनामा लिखित में हो गया, तथा उक्त राजीनामा को न्यायालय ने तस्दीक कर के उसके अनुसार दिनांक 5.6.80 डिक्री पारित करदी है। पक्षकारान उक्त डिक्री से पाबन्द है। उक्त राजीनामा के अनुसार पारित डिक्री को मंसूख कराने के लिये ऑर्डर 23 नियम 3 (अ) जा०दी० के अधीन वादी वाद प्रस्तुत करने के लिये कानूनन बाधित है। इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

**वादी द्वारा उक्त के संबंध मे निम्न जवाब पेश किया गया है:–** प्रतिवादी जवाब दावा पेश कर चुका है तथा प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधार की आपत्ति जवाब दावे में भी उठाई गई है, जिस पर तनकी कायम की जाकर तनकी का निर्णय दिया जा सकता है। वास्तव में वादी मूर्ति का वाद पूर्व की जारी डिक्री निरस्त करने का नहीं है, केवल मात्र डिक्री मूर्ति की भूमि की भूमि के सम्बंध में प्रभावहीन है, वैसे भी पूर्व में जारी डिक्री लॉफुल है या नहीं इसका निर्णय शहादत व दस्तावेजो के आधार पर हो सकता है, इसलिये प्रार्थना–पत्र मेन्टेनेबल नहीं है।अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

**प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:–** वादी ने उक्त वाद प्रतिमा श्री बडे मथुरेश जी विख्यात मंदिर पाटनपोल, कोटा मे स्थित है इसकी प्रतिमा एवं इसकी समस्त चल व अचल सम्पति की सुव्यवस्था के लिए सम्मानीय न्यायालय जिलाधीश, कोटा द्वारा धारा 92 जा0 दी0 संहिता मे स्कीम बनाकर श्री बड़े मथुरेश जी पाटनपोल की रचना की है, जो मूर्ति का संरक्षक है तथा राजस्थान ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है उक्त मंदिर की आराजी ग्राम रामनगर मे आराजी खसरा नम्बर 228 की 2.12 है0, 229 की 0.33 है0 व खसरा नम्बर 237 की 1.74 है0 कुल रकबा 2.21 है0 आराजी मूर्ति मंदिर की खातेदारी मे तथा जिसके खाते की भूमि उक्त वाद मे प्रतिवादी ने 350 रूपये सालाना की

उपखण्ड अधिकारी
को .।

उपखण्ड अधिकारी * कोटा

राशि जमा कराकर भूमि को काश्त करने स्वीकार किया गया है। तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.1980 को राजीनामे के अनुसार डिक्री किया गया था और उक्त पूर्व वाद जो मंदिर के ओर से मुख्तारआम नियुक्त किया गया था, वह रामस्वरूप पुत्र श्री बाबूलाल जी द्वारा तस्दीक किया गया था, उक्त राजीनामा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया था और उक्त राजीनामा दिनांक 05.06. 1980 को किया गया था और उक्त राजीनामे के अनुसार प्रतिवादी भंवरलाल राशि 3560 रूपये मनी ऑर्डर द्वारा मंदिर के खाते जमा कराता रहेगा और वादी ने उक्त राशि निर्णय के अनुसार मनी ऑर्डर द्वारा उक्त मंदिर के द्वारा न लेने पर प्रतिवादी उक्त मंदिर के बैंक अकाउन्ट मे उक्त राशी को जमा करता चला आ रहा है। और आज भी उक्त राशि को जो माननीय न्यायालय के निर्ण दिनांक 05. 06.1980 के अनुसार जमा कराता चला आ रहा है। वादी ने पुनः नया वाद उत्पन्न करते हुये वाद जरिये मुख्तारआम अधिकारी रघुनाथ प्रसाद कटारा मंदिर मथुरेश जी के अधिकारी द्वारा नया वाद बाजार दर के अनुसार न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था, जो पूर्व वाद डिक्री दिनांक 05.06.1980 वाद क्रमांक 06/79, न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा मे पारित डिक्री से पाबंद है, इसलिये प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 (डी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त डिक्री दिनांक 05.06.1980 जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित की गई थी, यदि उस डिक्री से मूर्ति मंदिर के अधिकारी रघुनाथ प्रसाद जी ने नया वाद प्रस्तुत किया था जो पूर्व मुख्तार आम रामस्वरूप जी द्वारा राजीनामे को अवैध बताते हुये नया वाद प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन गलत है एवं विधि विरूद्ध है। क्योकि अगर मूर्मि मंदिर को वर्ष 1980 में जो डिक्री पारित की गई थी, यदि वह गलत है तो मंदिर मथुरेश जी ने इतने वर्षो बाद वर्ष 2004 मे जो प्रस्तुत किया था, वह लगभग 43 वर्ष बाद नया वाद प्रस्तुत किया गया और वह उसी धारा व उसी आराजी के तहत व उसी पक्षकार के मध्य न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी ने उक्त मंदिर द्वारा वाद प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवादी ने न्यायालय मे जो पूर्व डिक्री दिनांक 05.06.1980 पारित की गई, उसकी पालनार्थ हेतु न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रकरण संख्या 2016/4173, बउनवान भवंरलाल उर्फ भंवरिया बनाम मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी, धारा 221 आर.टी. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन है, जिसमे आगामी पेशी दिनांक 10.02.2025 नियत है, जिसकी छायाप्रति न्यायालय मे प्रस्तुत है। तथा इसी क्रम मे आर आर टी 2006(1) पृष्ट संख्या 226 एवं आरआरटी 2016–17, सप्लीमेंट पृष्ट संख्या 158 मे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। आरआरटी 2001(2) पेज नम्बर 889। जिला न्यायालय द्वारा जो वादी ने अपने वाद पत्र मे उल्लेखित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किया है, उसकी जानकारी उक्त राजीनामा तस्दीक होने के पूर्व भी मंदिर के व्यवस्थापकों को थी, क्योंकि उक्त मंदिर के गठन का विवरण प्रतिवादी ने अपने प्रतिवादी पत्र के जवाब दावे की मद नम्बर 1, 2, 3, 4 व 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए आलेखित किया गया है। सहायक कलेक्टर, कोटा की डिक्री दिनांक 05.06.1980 राजीनामे में पूर्व पक्षकारा के मध्य विवादित आराजी के बाबत् मंदिर की ओर से धारा 183 आर. टी. एक्ट के तहत वाद क्रमांक 06/79 मे वादी की सहमति से पक्षकारान के मध्य मंदिर की ओर से मुख्तार आम रामस्वरूप जी आत्मज श्री रामबाबूजी ब्राह्मण को एडवोकेट वादी श्री जगदीश जी ने प्रतिवादी की ओर से श्री मूलचंद एडवोकेट ने पहचाना व राजीनामा तस्दीक किया गया था। जिसको न्यायालय ने दिनांक 05.06.1980 को डिक्री पारित की गई उसके पक्षकारान पाबंद है और उस राजीनामे के अनुसार डिक्री को मन्सूख कराने के लिए ऑर्डर 23 रूल 3 (ए) जा0 छी0 के अधीन वादी वाद प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाधित है, इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत वादी प्रतिवादी के विरूद्ध चलने योग्य नही है और इसी स्टेज पर खारिज किये जाने के लिये प्रार्थी भंवर लाल ने उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि पूर्व की डिक्री नही लगी हुई है। अतः राजीनामे की भी केवल फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई है। राजीनामा व इस दावे के खसरा नम्बर अलग–अलग है। अतः प्रकरण तनकी बनाकर साक्ष्यों के आधार पर निस्तारित किया जाना अपेक्षित है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि राजीनामा वर्ष 1980 मे प्रस्तुत किया गया था। तथा राजीनामे मे उल्लेखित खसरा नम्बर सेटलमेंट से पूर्व के है। सेटलमेंट उपरांत नये खसरा नम्बर बने, इन नये खसरा नम्बरो के आधार पर यह नवीन वाद प्रस्तुत किया गया हैं चूकि दोनों प्रकरणों मे पक्षकार समान है, चाही गयी राहत समान है तथा विषयवस्तु भी समान है। अतः नवीन प्रकरण चलने योग्य नही है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस उभय पक्ष पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

पत्रावली मे संलग्न प्रमाणित प्रति से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दिनांक 19.01.1979 को प्रतिवादी के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण मे उभयपक्षकारान द्वारा दिनांक 05.06.1980 को राजीनामा सहायक जिलाधीश कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर उक्त प्रकरण निस्तारित हुआ

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

था। वादी द्वारा पुनः दिनांक 30.06.2004 को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद वास्ते बेदखली प्रस्तुत किया गया है। तथा वाद की विषयवस्तु भी समान है।

उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि समान धारा, समान आराजी, व समान पक्षकारों के मध्य यह वाद पुनः समान न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। जो नियमानुसार उचित नही है।

उक्त वाद मे सन 1979 मे प्रस्तुत वाद पर परगना अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.06.1980 के प्रभाव के आंकलन हेतु धारा 11 सीपीसी से ससम्मान मार्गदर्षन प्राप्त किया गया। धारा 11 सीपीसी अनुसार –

"No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially issue in a former sit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue had been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

स्पष्टया धारा 11 सीपीसी यह प्रमाणित करती है कि यदि किसी मामले पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है तो उसी मुद्दे पर बाद मे कोई दुसरा मुकदमा उसी न्यायलय के नही चलाया जा सकता। धारा 11 किसी भी न्यायालय को ऐसे मामले पर विचार करने की अनुमति नही देती है जिस पर पहले ही उसी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका हो।

ऐसा निर्णय किसी भी पक्ष के बीच या उनके उत्तराधिकारियों के बीच किसी पूर्व वाद मे सीधे और ठोस रूप से तय कर दिया गया हो। धारा 11 सीपीसी से यह प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण रेसजुडीकेटा से प्रभावित है तथा इस न्यायालय को प्रष्नगत वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी भंवर लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वास्ते बेदखली खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
को